पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0:– 433/2025

1. शुभम पुत्र राकेश कुमार जाति जाट निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

1. राकेश कुमार पुत्र साहबराम
2. अनुसुईया पत्नी राकेश कुमार
3. ललिता पत्नी शुभम

जाति जाट निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

4. आरेक (मंदबुद्धि) पुत्र राकेश कुमार जाति जाट निवासी खाराखेड़ा जरिये पिता राकेश कुमार पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 8/12/25..........

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री अजय भादू व प्रतिवादी वकील अरविन्द नैण अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:–क. वादी शुभम को प्राप्त आराजी – चक नं0 9 केएचआर के खाता सं0 112/106 प०न० 222/220 मु0 21 किलानं0 16/0.215, 25/0.215, प०न० 222/221 किलानं0 5/0.215 है०

ख. चकनं0 3 सीडीआर के खाता सं0 94/24 में अंकित प्रतिवादीसं० 1 राकेश कुमार के नाम दर्ज कुल 2.277 है0 आराजी में से प्रतिवादीया सं0 2 अनुसुईया को 1.265 है0 व प्रतिवादीया सं0 3 ललिता को 1.012 है० आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते व चक नं0 9 केएचआर के खाता सं0 112/106 मे से प्रतिवादी सं० 1 राकेश का हिस्सा कम व चकनं0 3 सीडीआर के खाता सं0 94/24 में से प्रतिवादी सं0 1 राकेश कुमार का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 8/12/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।